<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—561 / 2011 संस्थित दिनांक—27.07.2011 फाईलिंग क.234503000902011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—परसवाड़ा जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — **अभियोज**न

// <u>विरूद</u> //

1—भण्डारी गिरी पिता जगलाल गिरी, उम्र—54 वर्ष, जाति गोसाई, निवासी—ग्राम जगनटोला, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—संजू गिरी पिता भण्डारी गिरी, उम्र—25 वर्ष, जाति गोसाई, निवासी—ग्राम जगनटोला, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—धनेन्द्र यादव पिता रमेश यादव, उम्र—29 वर्ष, जाति अहीर, निवासी—ग्राम जगनटोला, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — —

<u>- आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-29 / 01 / 2016 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 324/34, 324/34, 324/34 के तहत आरोप है कि उन्होनें दिनांक—03.07.2011 को दिन के 3:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भीड़ी में लोकस्थान पर फरियादी कल्याण गिरी को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं आहतगण चंद्रकलीबाई, कल्याण गिरी, धर्मेन्द्र गिरी व वृन्दाबाई को धारदार अस्त्र से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—03.07.11 को फरियादी कल्याण गिरी ने थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी भण्डारी गिरी, धनेन्द्र गिरी एवं संजू गिरी ने उसे गाली—गुफ्तार कर लाठी से मारपीट किये हैं, जिससे उसे चोट आई थी, जिसका बीच—बचाव करने धर्मेन्द्र गिरी, चन्द्रकलीबाई व वृन्दाबाई तो आरोपीगण ने उन्हें भी मारपीट किये थे, जिससे उन्हें भी चोट आई थी।

उक्त रिपोर्ट पर थाना परसवाड़ा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक—34/11, धारा—294, 323, 324, 34, भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त कर गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 324/34, 324/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी/आहतगण चंद्रकलीबाई, कल्याण गिरी, वृन्दा ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है, जिसे निर्णय के समय निराकरण किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में खंय को निर्दोष होना एवं झूटा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—03.07.2011 को दिन के 3:00 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भीड़ी में लोकस्थान में फरियाद कल्याण गिरी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण चंद्रकला, कल्याण गिरी, धर्मेन्द्र गिरी एवं वृन्दाबाई को धारदार अस्त्र से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत कल्याण गिरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 4—5 बजे की है। उक्त घटना के एक दिन पूर्व भण्डारी, संजू और संजीत उसके घर आए और उन लोगों को मारपीट करने की बात कह रहे थे, जिससे वे चुप रहे। दूसरे दिन भण्डारी गिरी 11 लोग सहित उसके घर आए और भण्डारी गिरी तेरी ऐसी की तैसी कह रहा था, जो उसे सुनने में अच्छा नहीं लगा। डर के मारे वे घर में घुस गए

थे। भण्डारी गिरी और संजु, लक्ष्मी, लता ने गांव के लोगों को बुलाकर उसके मकान के सामने मीटिंग रखे थे, जिसमें उन लोगों को भी बुलवाए थे। उन लोगों के द्वारा मीटिंग में जाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर हंगामा होगा। भण्डारी गिरी ने हंगामा नहीं होगा करके रिक्स लिया था। जब मीटिंग में उसके बयान हो रहे थे, तब संजू भण्डारी, संजीत, धनेन्द्र ने लात, जूते से उसके सिर एवं पीठ पर मारे थे और उसके लड़के धर्मेन्द्र को भी मारे थे। उसकी पत्नी चन्द्रकली और उसकी लड़की वृन्दा जो उस समय गर्भवती थी को भी आरोपीगण ने मारे थे। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सीय परीक्षण हुआ था और पुलिस ने उसका बयान थाना परसवाड़ा में लिया था। आरोपी भण्डारी का लड़का संजय गिरी उसकी लड़की चित्ररेखा से शादी करना चाहता था, इस बाबद मीटिंग रखी गई थी।

6— उक्त साक्षी ने विचारण के दौरान आरोपी से राजीनामा कर अपराध शमन करने हेतु आवेदन पेश किया है, जिसका निराकरण किया जाना है। उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथन से यह प्रकट होता है कि आरोपीगण ने उसके साथ गाली—गलौज करते हुए हाथ—मुक्कें से मारपीट की थी। साक्षी के चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आहत कल्याण गिरी को साधारण प्रकृति की चोट कारित होना पाई थी, जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। आहत कल्याण गिरी की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन व उसे आई चोटों के अनुसार आरोपीगण के द्वारा घटना के समय धारदार हथियार या खतरनाक साधन से उसे चोट पहुंचाकर उपहित कारित करना प्रमाणित न होने से मात्र क्षोभ कारित करने और स्वेच्छया उपहित के अपराध में आरोपीगण से राजीनामा कर लिए जाने के कारण उसके प्रति किये गए उक्त अपराध का शमन किया जाता है।

7— चन्द्रकलीबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपीगण उनके रिश्तेदार हैं। एक वर्ष पूर्व जगनटोला का संजय गिरी ग्राम भीडी में उनके घर में रह रहा था, तब आरोपीगण संजय गिरी को लेने के लिए आए थे। उसी बात पर से आरोपीगण और उनका घरेलु बात से मौखिक वाद—विवाद हो गया था, जिसकी थाना परसवाड़ा में रिपोर्ट किये थे। मौके पर उसका पति कल्याण गिरी, पुत्री वृन्दाबाई एवं धर्मेन्द्र भी था। आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं किये थे और न ही गाली दिए थे। वह, धर्मेन्द्र, वृन्दाबाई और उसका पति दौड़े तो रोड

पथरीली होने से गिर गए थे। आरोपीगण से उनका बच्चों की बात को लेकर मौखिक वाद—विवाद हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने से उन्हें चोट आई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि धर्मेन्द्र, वृन्दाबाई, कल्याण गिरी और वह दौड़े थे तो रोड पथरीली होने से गिर गए थे, जिस कारण उन्हें चोट आई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने गाली—गलौज नहीं किया और न ही मारपीट की थी। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

- 8— उक्त साक्षी ने विचारण के दौरान आरोपी से राजीनामा कर अपराध शमन करने हेतु आवेदन पेश किया है, जिसका निराकरण किया जाना है। उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। साक्षी के चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा. 5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आहत चंद्रकला बाई को साधारण प्रकृति की चोट कारित होना पाई थी, जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। आहत चन्द्रकलीबाई की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—4 है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से कथित क्षोभ कारित करने और उसे उपहित्त कारित करने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। यद्यपि उक्त साक्षी को क्षोभ कारित करने और स्वेच्छया उपहित्त के अपराध में साक्षी आरोपीगण से राजीनामा कर लिए जाने के कारण उसके प्रति किये गए उक्त अपराध का शमन किया जाता है।
- 9— वृन्दा गिरी (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण व फरियादी कल्याण गिरी को जानती है। कल्याण गिरी उसके पिताजी हैं। घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम भीड़ी की दिन के 4:00 बजे की है। आरोपीगण उसके घर पर आए और रिश्ते का विवाद होने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। उसके पिताजी को आरोपी संजू बगैरह ने लकड़ी से मारपीट किये थे, जिससे उसकी पीठ और सिर में चोट आई थी। इसके अलावा उसके भाई धर्मेन्द्र, मॉ चन्द्रकलीबाई को भी लकड़ी से मारपीट किया था, जिससे चन्द्रकलीबाई का सिर फूट गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में लिखाई गई थी। पुलिस ने उनकी चोटों का परीक्षण कराया था और पूछताछ कर बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह

स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो चुका है और साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट नहीं किये थे। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभास कथन किये हैं। साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— उक्त साक्षी ने विचारण के दौरान आरोपी से राजीनामा कर अपराध शमन करने हेतु आवेदन पेश किया है, जिसका निराकरण किया जाना है। उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथन से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। साक्षी के चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा. 5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आहत वृन्दाबाई को साधारण प्रकृति की चोट कारित होना पाई थी, जो किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। आहत वृन्दाबाई की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से कथित क्षोभ कारित करने और उसे उपहित कारित करने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। यद्यपि उक्त साक्षी को क्षोभ कारित करने और स्वेच्छया उपहित के अपराध में साक्षी आरोपीगण से राजीनामा कर लिए जाने के कारण उसके प्रति किये गए उक्त अपराध का शमन किया जाता है।

11— धर्मेन्द्र गिरी (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग एक साल पूर्व की है। चित्ररेखा उसकी छोटी बहन है और संजय गिरी, भण्डारी गिरी का लड़का है। संजय गिरी उसकी छोटी बहन चित्ररेखा से विवाह करना चाहता था। घटना के पूर्व संजय गिरी उनके घर में मेहमान के तौर पर रूका था, जिस कारण भण्डारी गिरी और उसकी पत्नी संजय को लेने आए थे। संजय गिरी उनके घर में रूका था, इस कारण भण्डारी गिरी और उसकी पत्नी उनको गाली—गलौज करने लगे। घटना के दूसरे दिन भण्डारी गिरी के घर के पीछे दूसरी मीटिंग रखी गई थी। उक्त मीटिंग में कोटवार के द्वारा उन लोगों को भी बुलवाए थे। आरोपी भण्डारी गिरी के द्वारा संजय गिरी को ले जाने की बात कहने लगा था, जिस पर उसे संजय गिरी अपने पिता भण्डारी गिरी को कहा कि आप मेरे पिता होकर मेरी बात नहीं मानते तो में भी आपकी बात नहीं मानता, तब आरोपी भण्डारी गिरी ने संजय गिरी को सिखाते हो कहकर मादरचोद की गंदी—गंदी गालियां देने लगा, तब उसने गालियां देने से मना किया। फिर आरोपीगण के तरफ की महिलाएं मारने के लिए आ गई। आरोपी भण्डारी गिरी के द्वारा उसकी मां चन्द्रकली को लकड़ी से सर पर

मारा और आरोपी संजू गिरी ने उसके सिर पर मारा था। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ था। उक्त घटना की रिपोर्ट उनके द्वारा थाना परसवाड़ा में जाकर की गई थी।

12— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपी संजू गिरी द्वारा उसे लकड़ी से मारकर उपहित कारित करने का कथन किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उक्त साक्षी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसे सिर के पीछे वाले भाग में साधारण प्रकृति की चोट कारित हुई थी, जो कि सख्त व बोथरी वस्तु से आना संभावित है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 है। घटना के समय सभी आरोपीगण ने मारपीट के सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी संजू गिरी के द्वारा आहत धर्मेन्द्र गिरी को साधारण उपहित कारित की थी, जिस हेतु सभी आरोपीगण को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायसंगत होगा। उक्त आहत को मारपीट करते समय आरोपीगण यह जानते थे कि उक्त कृत्य से आहत को निश्चित ही उपहित कारित होगी। ऐसी दशा में आरोपीगण का उक्त कृत्य स्वेच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

13— प्रकरण में अभियोजन की ओर से अनुसंधान कर्ता अधिकारी की साक्ष्य नहीं कराई गई है। यद्यपि अपराध की प्रकृति एवं मामलें में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में बचाव पक्ष को अपहानि होना संभावित नहीं है तथा इस कारण से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

14— प्रकरण में आहत धर्मेन्द्र गिरी को छोड़कर शेष आहतगण कल्याण गिरी, वृन्दा गिरी एवं चंद्रकलीबाई ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जाने से कथित क्षोभ कारित किये जाने एवं स्वेच्छया उपहित कारित करने के अपराध का शमन हो चुका है। आहत कल्याण गिरी (अ.सा.1), वृन्दा गिरी (अ.सा.6) एवं चन्द्रकलीबाई (अ.सा.3) की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि आरोपीगण ने कथित मारपीट करते समय खतरनाक हथियार या धारदार वस्तु का प्रयोग किया था। उक्त आहतगण की चिकित्सीय रिपोर्ट से भी यह प्रकट होता है कि उन्हें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित हुई थी। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उक्त आहतगण को साधारण

उपहित कारित हुई थी, तब भी ऐसी दशा में उक्त आहतगण कल्याण गिरी, वृन्दा गिरी एवं चंद्रकलीबाई का आरोपीगण से राजीनामा होने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध का शमन हो चुका है। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी/आहत कल्याण गिरी, वृन्दा गिरी व चंद्रकलीबाई के द्वारा अपराध का शमन किये जाने से एवं साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को क्षोभ कारित करने एवं उक्त आहतगण को स्वेच्छया उपहित हेतु भारतीय दण्ड संहिता कि धारा—294, 324/34, 324/34, 324/34 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

15— आहत धर्मेन्द्र गिरी (अ.सा.2) के द्वारा आरोपीगण से राजीनामा नहीं किया गया है। आहत धर्मेन्द्र गिरी (अ.सा.2) की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि उसे संजू गिरी के द्वारा सिर पर लकड़ी से मारकर उपहित कारित की गई थी। उक्त आहत को स्वेच्छया उपहित कारित होने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी ने भी की है। घटना के समय सभी आरोपीगण ने मारपीट के सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी संजू गिरी के द्वारा आहत धर्मेन्द्र गिरी को साधारण उपहित कारित की थी, जिस हेतु सभी आरोपीगण को समान रूप से उत्तरदायी उहराया जाना न्यायसंगत होगा। उक्त आहत को मारपीट करते समय आरोपीगण यह जानते थे कि उक्त कृत्य से आहत को निश्चित ही उपहित कारित होगी। ऐसी दशा में आरोपीगण का उक्त कृत्य स्वेच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

16— प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण ने घटना के समय मारपीट करते समय कोई धारदार वस्तु या हथियार का प्रयोग किया था। आहत धर्मेन्द्र गिरी को बोथरी व कड़ी वस्तु से स्वेच्छया उहपित कारित होने से स्वेच्छया साधारण उपहित कारित होना प्रमाणित है। इस प्रकार आहत धर्मेन्द्र गिरी को स्वेच्छया उहपित कारित करने हेतु सभी आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के स्थान पर धारा—323/34 में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात् –

18— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उनके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

19— प्रकरण में आरोपीगण से आहत धर्मेन्द्र को छोड़कर शेष आहतगण ने राजीनामा कर अपराध का शमन कर लिया है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323/34 के अपराध के अंतर्गत 800/—रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

20- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

21— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी धनेन्द्र यादव दिनांक—25.11.2015 से दिनांक—27.11.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है तथा शेष आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नही रहें है, जिसके संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण—पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

22— प्रकरण में जप्तशुदा कुड़ो की लकड़ी, बांस का टुकड़ा, एक महुआ की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अवि अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट